न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 08/2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

श्रीमती गेलू पत्नि श्री चेला जाति गरासिया निवासी क्यारिया तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)

निर्णय

दिनांक 28.03.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्व पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा तलवारों का नाका, पटवार मण्डल क्यारिया, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 418/1 रकबा 0.3920 हैक्टेयर किस्म पडत भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आवंटन कमेटी दिनांक 19–20.06.1978 द्वारा अप्रार्थी श्रीमती गेलू पत्नि श्री चेला को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण तहसीलदार आबूरोड द्वारा अप्रार्थी श्रीमती गेलू पत्नि श्री चेला के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी ग्राम क्यारिया में निवासरत नहीं होने से को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुआ, जिससे प्रार्थी तहसीलदार आबूरोड को अप्रार्थी का सही पता प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया, जिस पर प्रार्थी तहसीलदार आबूरोड द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/राजस्व/विधिक वारिसान/गेलू/ 2022/809 दिनांक 07.07.2022 के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि अप्रार्थी श्रीमती गेलू पत्नि श्री चेलाराम नाम से कोई भी व्यक्ति एवं परिवार का सदस्य ग्राम क्यारिया में निवास नहीं करते है, जिस पर अप्रार्थी श्रीमती गेलू पत्नि श्री चेलाराम का नोटिस स्थानीय दैनिक अखबार [illegible] संस्करण के पृष्ठ संख्या 09 पर दिनांक 11.08.2022 को प्रकाशित करवाया गया [illegible] की 30 दिन की अवधि के पश्चात भी अप्रार्थी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई [illegible] नहीं की गई। पूर्व में अप्रार्थी को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके थे [illegible] उनका जवाब देने का अ[illegible]न्द किया गया एवं न ही अप्रार्थी द्वारा बहस हेतु नियत तिथि [illegible] किसी भी प्रकार की को[illegible]स्थिति दी गई। अतः अप्रार्थी अनुपस्थित होने से उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:23:52 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 418/1 रकबा 0.3920 हैक्टेयर किस्म पडत भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्रीमती गेलू पत्नि श्री चेला को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा तलवारों का नाका, पटवार मण्डल क्यारिया, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 418/1 रकबा 0.3920 हैक्टेयर किस्म पडत भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आवंटन कमेटी दिनांक 19–20.06.1978 द्वारा अप्रार्थी श्रीमती गेलू पत्नि श्री चेला को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण तहसीलदार आबूरोड द्वारा अप्रार्थी श्रीमती गेलू पत्नि श्री चेला के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया। यह है कि पटवारी हल्का क्यारिया से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 20.12.2019 के अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थी श्रीमती गेलू पत्नि श्री चेला का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमो में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नही किया है, नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी । उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत नही होगा ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा तलवारों का नाका पटवार मण्डल क्यारिया, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 418/1 रकबा 0.3920 हैक्टेयर किस्म पडत भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आवंटन कमेटी दिनांक 19–20.06.1978 द्वारा अप्रार्थी को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:23:52 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner